रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218995 CG-DL-E-01042020-218995

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] No. 179] नई दिल्ली, बुधवार, अपैल 1, 2020/चैत्र 12, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020/CHAITRA 12, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 229 (अ) .— केंद्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 फख की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा नियम, 1939 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमा (संशोधन) नियम, 2020 है।
 - (2) यह उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. बीमा नियम, 1939 के नियम 59 में खंड (ढ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(ण) मोटरयान तृतीय पक्षकार बीमा पॉलिसियां - कोविद-19 महामारी के प्रकोप के दौरान लॉकडाउन की अविध के दौरान नवीकरण के लिए आने वाली तृतीय पक्षकार मोटरयान बीमा पॉलिसियों के नवीकरण की दशा में जोखिम को इस शर्त के अधीन रहते हुए ग्रहण किया जा सकेगा कि प्रीमियम ऐसी अविध के भीतर संदाय किया जाएगा जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

1665 GI/2020 (1)

(प) स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां- कोविद-19 महामारी के प्रकोप के दौरान लॉकडाउन की अविध के दौरान नवीकरण के लिए आने वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की दशा में जोखिम को इस शर्त के अधीन रहते हुए ग्रहण किया जा सकेगा कि प्रीमियम ऐसी अविध के भीतर संदाय किया जाएगा जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे:.".

[फा. सं. 14017/18/2020-बीमा-II]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना संख्या 59-1(1)/38, तारीख 3 जून, 1939 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 867, तारीख 28 जून, 1961, सा.का.नि. 45, तारीख 18 दिसंबर, 1965, सा.का.नि. 401, तारीख 26 फरवरी 1976, का.आ. 961(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 और सा.का.नि. तारीख 24 जून 2003 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2020

- **G.S.R. 229** (E) .—In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 64VB of the Insurance Act, 1938, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insurance Rules, 1939, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Insurance (Amendment) Rules, 2020.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insurance Rules, 1939, in rule 59, after clause (n), the following clauses shall be inserted, namely:-
- "(o) Motor vehicle third party insurance policies. In the case of renewal of motor vehicle third party insurance policies falling during the period of lockdown due to outbreak of COVID-19 pandemic, the risk may be assumed subject to the condition that the premium shall be paid within such time as the Central Government may, by notification, specify in this behalf;
- (p) Health insurance policies.- In the case of renewal of health insurance policies falling during the period of lockdown due to outbreak of COVID-19 pandemic, the risk may be assumed subject to the condition that the premium shall be paid within such time as the Central Government may, by notification, direct in this behalf.".

[F. No. 14017/18/2020-Ins-II]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number 59-1(1)/38, dated 3rd June, 1939 and was subsequently amended *vide* number G.S.R. 867, dated the 28th June, 1961, number G.S.R. 45, dated the 18th December, 1965, number G.S.R. 401, dated the 26th February, 1976, number S.O. 961(E), dated the 24th March, 1992 and number dated the 24th June, 2003.